

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं.....
प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा

भाग-II

सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

परियोजना / स्कीम का स्थान	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी द्वारा संचालित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किमी० सं०-121+870 पर कास कर रहे एव०एच-330 प्रयागराज - अयोध्या राजमार्ग पर सुगम एवं सुरक्षित यातायात हेतु एक्सप्रेसवे के लूप के प्रवेश / निकास पर फ्लाईओवर / वायाउव्ट के निर्माण हेतु आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति के संबंध में।
(i) राज्य/ संघ शासित प्रदेश	उत्तर प्रदेश
(ii) जिला	सुलतानपुर
(iii) वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सुलतानपुर
(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र हे०	संरक्षित वन भूमि 4.8 हे०
(v) वन का कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि पर स्वामित्व अस्थाई खण्ड (रा०मा०) लोक निर्माण विभाग का है।
(vi) हरियाली का घनत्व	0.3
(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना(संलग्न की जाय) सिंचाई / जलीय परियोजना के संबंध में एफ०आर०एल० एफ० आर०एल०-2 मीटर परिगणना और एफ०आर०एल० 4मी० में भी संलग्न की जाय)	701 वृक्ष प्रभावित है।
(viii) भू- क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	ये भू- भाग भू-संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।
(ix) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभयारण्य जीवन मंडल आदि का भाग है (यदि हो तो तो क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन जीव वार्डन का टिप्पणियां अनुबधित की जाय)	नहीं है।
(x) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ / सकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती है यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं है। सामान्यतः सिरस, शीशम, प्रोसोपिस, अर्जुन कंजी, आम आदि के वृक्ष सड़क के किनारे रोपित किये गये हैं।
(xi) क्या कोई सुरक्षित पुस्ताकित / पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दें।	नहीं है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।
9	प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही रहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।
	नहीं है।

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेत्तर / अवकमित वन क्षेत्र के आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार	नहीं।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेत्तर / अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास के सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों रहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी के समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्ष द्वारा हस्तान्तरित किया जाना)	विवरण संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षण की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपर्युक्त कालम 7, 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	सुलतानपुर
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	267289 हे०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	637.2585 हे०
(iii)	मामलों की संख्या हित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	12 मामलें 71.681896 हे०
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	118.5644 हे०
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	रिक्त
	(क) वनेत्तर भूमि	रिक्त
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	292.583 हे०
	(क) वनेत्तर भूमि	रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की सिफारिश।	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी द्वारा संचालित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किमी० सं०-121+870 पर कास कर रहे एवन०एच-330 प्रयागराज - अयोध्या राजमार्ग पर सुगम एवं सुरक्षित यातायात हेतु एक्सप्रेसवे के लूप के प्रवेश / निकास पर फ्लाईओवर / वायाउकट के निर्माण हेतु आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य की संस्तुति की जाती है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सुलतानपुर।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।